न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 120/2017

बउनवान

रामकिशन आयु 65 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप जाति–मीणा निवासी–रकसपुरिया तहसील–मॉगरोल जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, सीसवाली

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 06.03.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 06.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रकसपुरिया, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 2.08 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 3328/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व कब प्रार्थी को बेदखल किया उसका कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साईक्लोस्टाईल निर्णय निकाला गया है जो व्यवहार प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत है तथा स्पेसिफिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। इस संबंध में दिनांक 6.3.2017 को आईएलआर सीसवाली द्वारा मौका देखा गया है, जिसमे वर्णित भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना नहीं माना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट को रेकार्ड में नहीं लिया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि खाली पडी हुई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.3.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को [illegible] हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही [illegible] अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर [illegible] का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष [illegible] होकर रिपोर्ट पेश की गयी थी कि अपीलांट का विवादित ख0नं0 361 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। इस संबंध में भू.अभि.निरी0 द्वारा दिनांक 08.03.2017 को मौका रिपोर्ट [illegible] न्यायालय को प्रस्तुत की गयी है जिसमें उन्होने स्पष्ट लिखा है कि उक्त आराजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिक्रमण की कोई दिनांक व संवत् अंकित नहीं है तथा उक्त निर्णय अन्तर्गत धारा भू–राजस्व

पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व ना तो उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया ना हीं पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत रेकार्ड को पत्रावली पर लिया गया। मात्र आनन फानन में साईक्लोस्टाईल प्रपत्र पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.3.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 6/2017 निर्णय दिनांक 25.2.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा अपीलांट को सम्वत् 2073 खरीफ में विवादित चारागाह भूमि ख0नं0 361 रकबा 2.08 है0 पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, दिनांक 06.03.2017 को सजायाब करने के आदेश पारित किये गये है। प्रकरण में बहस के दौरान अपीलांट अभिभाषक का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी पर उसका कोई कब्जा नहीं है। हमने इस परिपेक्ष्य में आई.एल.आई. की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.03.2017 का अवलोकन किया जिसमें लिखा है कि प्रार्थी का ग्राम रकसपुरिया की आराजी ख0नं0 361 चारागाह भूमि पर कब्जा नहीं है, उसका अन्य भूमि पर कब्जा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2017 एवं आई.एल.आर. की रिपोर्ट दिनांक 08.03.2017 में विरोधाभास है कि वास्तव में अपीलांट का किस आराजी पर अतिक्रमण है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत सुनवाई एवं आई.एल.आर. की मौका रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया गया है ना हीं रिपोर्ट का निर्णय में विवेचन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की गयी है।

परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर एवं विवादित आराजी जिसपर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया है, उक्त आराजी की मौके पर जॉच करे कि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कब्जा है या नहीं। जॉच उपरान्त पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दिनांक 27.03.2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2019 को सरे इजलास लि[illegible] सुनाया गया।

([illegible] राव)
[illegible]र,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिक्रमण की कोई दिनांक व संवत् अंकित नहीं है तथा उक्त निर्णय अन्तर्गत धारा भू–राजस्व